

संख्या	कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	21.09.21	<p>धवावली पेशा हुई। वकील शर्मा ठागिर नहीं है। वकील शर्मा द्वारा मूल वाद में वकालतनामा पेश नहीं किया गया है, न ही प्रतिवादी/अप्रार्थी की तलबी छल वदि. तलबना पेश किया गया है। धवावली तलबी में वर्ष 2018 से संबंधित चल रही है। मूल वाद धवावली अदम लारिजी व अदम साधिव पेशी में खारिज की जा चुकी है, अतः प्रा. धवावली में अब कार्यवाही की कोई औचित्य का होने से धवावली उच्च स्टेज पर तलबी केंद्र की जाकर एलडू द्वारा खारिज की जाती है। धवावली फौजदारी शुमार होकर नंबर से कम होकर कार्रवाई दफतर हो। विषय मुले न्यायालय में सुनाया जाकर अदम हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।</p>	

सहायक कलक्टर
सांभर लोक

